बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21 / 2011– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – पटना में डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 94.00 करोड़ (चौरानवे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने पटना में डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 94.00 करोड़ (चौरानवे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0323–डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी (विपत्र कोड 43–4059800510323) के अधीन विस्तृत शीर्ष 53 के 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में वित्त विभाग के पत्रांक–11 C.F., दिनांक 01.06.2017 द्वारा स्वीकृत बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होगें।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं स्वीकृत बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

6. डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 3388, दिनांक 30.11.2016 द्वारा पटना जिला के पटना सदर अंचल के मौजा–सैदपुर मुसल्लह, थाना संख्या–03, वार्ड संख्या–15 के विभिन्न खेसरा के कुल रकबा 20.4838 एकड़ भूमि पर, की जायेगी।

7. साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श डिजाईन एवं निर्माण तथा स्थापना व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि रू॰ 397.00 करोड मात्र के दो घटक क्रमशः रू॰ 191.00 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ रूपये) मात्र एवं रू॰ 206.00 करोड़ (दो सौ छः करोड़ रूपये) मात्र हैं।

8. पहला घटक के लिए स्वीकृत राशि रू॰ 191.00 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ रूपये) मात्र (Project cost is Rs 147 crores and corpus fund is Rs 44 crores) में से रू॰ 97.00 करोड़ (संतानवे करोड़ रूपये) मात्र (60% of total project cost of Rs 147 crores i.e. Rs 88.20 crores and maximum 20% of the corpus fund of Rs 44 crores i.e.Rs. 8.80 crores) की वित्तीय सहायता केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा शेष रू॰ 94.00 करोड़ (चौरानवे करोड़ रूपये) मात्र (40% of total project cost of Rs 147 crores i.e. Rs 58.80 crores and 80% of corpus fund Rs 35.20 crores) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

9. दूसरे घटक के लिए स्वीकृत राशि कुल रू॰ 206.00 करोड़ (दो सौ छः करोड़ रूपये) मात्र (Project cost is Rs 162 crores and corpus fund is Rs 44 crores) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2199/वि॰, दिनांक 24.03.2017 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 23.05.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–11 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) व^2 – 21/2011– 1333 /पटना, दिनांक– 7.6.017

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय आप्त सचिव/अवर सचिव/संयुक्त निदेशक (वि॰)/उप निदेशक (यों)/ उप निदेशक (क॰)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक, आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.06.17

सरकार के उप सचिव

7/6/17